न्यायालय कलेक्टर, जिला–जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

प्र.क.0022/अ–20(3)/2022

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला–अनूपपुर(म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन (वन मंडलाधिकारी, वनमंडल अनूपपुर) ....अनावेदक

संशोधित आदेश

(पारित दिनांक 04 अप्रैल 2023)

आवेदक मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक, जिला–अनूपपुर (म.प्र.) ने ग्राम अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिये आबंटित भूमि के बदले वन विभाग को भूमि वापस किये जाने हेतु ग्राम अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ की शासकीय भूमि खसरा नंबर 401 रकवा 5.856, 394/1/1 रकवा 11.328 एवं 391/1 रकवा 5.261 हेक्टेयर का अंशभाग हेतु आबंटित किये जाने हेतु म.प्र.नवीन नजूल निवर्तन निर्देश 2020 के तहत RCMS पोर्टल में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

1/ वनमंडलाधिकारी वन मंडल अनूपपुर के पत्र कमांक 1400 दिनांक 3/3/2023 द्वारा लेख किया गया है कि ग्राम अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिये प्रभाविंत वनभूमि अनूपपुर वन मंडल की 3.418 हेक्टेयर है। वनमंडलाधिकारी द्वारा खसरा नंबर 401 रकवा 3.508 हेक्टेयर छोडकर अन्य भूमि वनविभाग को आबंटित करने हेतु लेख किया गया है। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, डिण्डौरी के पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा लेख किया है कि कपिलधारा डेम निर्माण हेतु संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रकरण भेजा गया है, जिसमें वनभूमि का रकवा 15.187 हे. है, जबकि स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में 14.000 हे. प्रभावित वनभूमि होना लेख है।

2/ आवेदित भूमि के आबंटन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ का प्रतिवेदन पत्र कमांक 115/अनु.अधि./री–1/2023 दिनांक 29/3/2023 प्राप्त है। अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ के प्रतिवेदन के साथ तहसीलदार पुष्पराजगढ़ एवं पटवारी हल्का अमरकंटक का प्रतिवेदन संलग्न है। अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खसरा नम्बर 401 रकवा 5.856 हे. भूमि राजस्व विभाग की थी, किन्तु आवंटन पश्चात् वन विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त खसरा नम्बर 401 अंश रकवा 3.508 हे. वन विभाग की है, जो खसरे में दर्ज न होने के कारण आवंटित की गई थी। यह भी प्रतिवेदित किया है कि 3.508 हे. भूमि पृथक से अन्य खसरा नम्बर से आवंटित किया जाना है। मौके से वन विभाग को दी गई भूमि से लगी हुई भूमि खसरा नम्बर 391/1 रकवा 5.261 हे. का अंश रकवा 1.261 हे. एवं खसरा नम्बर 292/1 रकवा 5.197 हे. में से 2.247 हे. वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

3/ अतः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार म.प्र.नजूल निर्वतन निर्देश 2020 की कंडिका–14 एवं स्थायी पट्टे पर नजूल दिये जाने का प्रयोजन, सक्षम अधिकारी एवं कंडिका–17 हस्तान्तरण की भूमि पर कर निर्धारण– राज्य सरकार की किसी विभाग को हस्तान्तरित की गई नजूल भूमि के सम्बन्ध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा, अतएव प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 7/10/2022 के आबंटन को निरस्त करते हुये ग्राम अमरकंटक की निम्नांकित शासकीय भूमि म0प्र0शासन वन विभाग को निःशुल्क बिना प्रब्याजि एवं भू–भाटक के आवंटित की जाती है :–

तहसील	ग्राम	आवेदित खसरा नंबर	कुल रकवा	आबंटित रकवा (हे.)	प्रयोजन
पुष्पराजगढ़	अमरकंटक	394/1/1	11.328 हे.	7.911 हे.	वन भूमि के बदले राजस्व भूमि का आवंटन ।
		391/1	5.261 हे.	5.261 हे.	
		392/1	5.197 हे.	2.247 हे.	
योग– (तीन किता)			21.786 हे.	15.419 हे.	

आदेश की प्रति वन मण्डलाधिकारी, अनूपपुर, अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़ एवं तहसीलदार पुष्पराजगढ़ को भेजा जाय। तहसीलदार आदेश की इत्तलाबी खसरे में कर पालन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर उपलब्ध करायें तत्पश्चात प्रकरण नस्ती होकर दाखिल दफतर हो।

कलेक्टर
जिला-[redacted] (म.प्र.)